6/11/17	[illegible] उप०/P.O. साहब V.I ...... पत्रावली दिनांक 8/1/18 को पेश हो। [signature]	
8/1/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। इश्तहार [illegible] के उपस्थित नहीं हो, इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस धारा 212 RFA दिनांक 26/2/18 को पेश हो। [signature] SDM	
26/2/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस धारा 212 RFA सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 28/2/18 को पेश हो। [signature] SDM	
28/2/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा० पत्र 212 RFA स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 26/12/17 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को [illegible] तथा स्थायी (Confirm) किया जाता है। [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के शामिल रहे। सुनाया। [signature] SDM	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/178/2017

वउनवान

1. बुद्दी पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी खैडामैदा
   तहसील कठूमर

------ सायल

बनाम

1. विशन पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी खैडामैदा
2. गोरधन पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी खैडामैदा
3. राजवीर पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी खैडामैदा
   तहसील कठूमर
4. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर

---- गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री सुभाषचन्द शर्मा

श्री सतेन्द्रकुमार शर्मा एडवोकेटस – वकील सायलान

आदेश दिनांक 28.02.2018

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 60 रकवा 1.34 हे.64 रकवा 0.13 हे. 331 रकवा 0.54 हे. 949 रकवा 1.47 हे. 950 रकवा 0.83 हे. 934 रकवा 0.65 हे. 939/1070 रकवा 0.44 हे. 940/1069 रकवा 0.43 हे.926 रकवा 0.76 हे. 951 रकवा 0.83 हे. ग्राम खैडामैदा तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी का बहामी बंटवारा सायल, गैरसायलान एंव साझीदारान के मध्य अर्सा करीब 30–40 साल पूर्व हो गया था। जिस बहामी वंटवारा में सायल के हक वो कब्जे में आराजी खसरा नम्बर 949 मिन रकवा 0.50 हे. तर्फ उत्तर व 60 मिन रकवा 0.25 हे. तर्फ उत्तर आया था। जिस पर सायल वक्त वहामी वंटवारा से काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा सायल ने अपने हिस्से की आराजी को अधिक उपयोगी एंव

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपजाउ बना लिया है। लेकिन गैरसायलान बहामी वंटवारा को मानने को तैयार नहीं है तथा सायल के हक वो कब्जे की आराजी पर जवरन कब्जा करना चाहते है। सायल घरेलु वंटवारा के अनुसार हक हिस्सा व कब्जे में आई आराजी वावत अलग से खाता कायम कराकर राजस्व रेकार्ड में अलग खाता खुलवाने का अधिकारी है। गैरसायलान जबर्दस्त व्यक्ति है जो सायल को घरेलु हक हिस्सा में मिली आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा गैरसायल संख्या 4 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय करने को अमादा है। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगें, दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि व असुविधा होगी। अतः सायल ने खसरा नम्बर 949 रकवा 0.50 हे. मिन तर्फ उत्तर, 60 रकवा 0.25 हे. मिन तर्फ उत्तर वाके ग्राम खैडामैदा के कब्जे काश्त में बाधा न करने व विना तकासमा आराजी खसरा नम्बर 60,64,331, 949,950,934,939/1070, 940 बटे 1069, 926,951 वाके ग्राम खैडामैदा को रहन वय हिवा द्वारा मुन्तकिल ना करने वावत गैरसायलान को ता–फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान के बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ दिनांक 26.02.2018 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी 20701 से 2074 किता 7 वाके ग्राम खैडामैदा की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी का सायल सहखातेदार है। विवादित आराजी का बहामी वंटवारा कर रखा है। खसरा नम्बर 949 रकवा 1.47 में से सायल का तर्फ उत्तर 0.50 हे. पर व खसरा नम्बर 60 रकवा 1.34 हे. में तर्फ उत्तर रकवा 0.25 हे. पर कबजा काश्त है। गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। अतः गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :–

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर(अलवर)

1 प्रथम दृष्टा केस

2 सुविधा का सन्तुलन

3 ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

हमने पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न हाल जमाबन्दी की छाया प्रति का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता सायल की वहस पर मनन किया। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 वाके ग्राम खैडामैदा के अवलोकन से विवादित आराजी सायल, गैरसायलान व अन्य साझीदारान की सहखातेदारी में दर्ज है। जिस पर सायल, गैरसायलान व अन्य साझीदारान के शामलात कब्जे काश्त का अनुमान किया जा सकता है। सहखातेदारी की आराजी में एक दूसरे पक्षकार के कब्जे काश्त में बाधा करना गैरकानूनी है। विवादित आराजी मौके पर घरू रूप से बंटी है या अवट है यह प्रार्थना पत्र की विषय बस्तु नहीं है। यदि शामलात खातेदारी की आराजी में गैरसायलान ने सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या विना तकासमा कराये उक्त आराजी को रहन वय कर दिया तो अपार हानि व असुविधा सायल के पक्ष में होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 60, 64, 331, 949, 950, 934, 939/1070, 940 बटे 1069, 926,951 वाके ग्राम खैडामैदा तहसील कठूमर में सायल के शामलात कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा व व्यवधान पैदा ना करें। मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 28.02.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)